न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 73/2017 अपील

1. अमित उर्फ रमेश पिता बनाम शम्भूलाल पुरोहित निवासी मेघरास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थीगण

1. अर्जुनलाल पिता शम्भूलाल ब्राह्मण निवासी मेघरास तहसील सहाडा
2. सोहनी बेवा शम्भूलाल ब्राह्मण निवासी मेघरास तहसील सहाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला

– रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्व नामान्तरण सं. 340 दिनांक 23.12.1988

उपस्थित –
1. श्री महेश दाधीच अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.10.2017

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक खातेदार शम्भुलाल पिता नारायण लाल के निधन के बाद ग्राम मेघरास तहसील सहाडा की साबिक आराजी सं. 673, 474,475,632,633,634,635,636,637,638,648,641,651,688,689,790 किता 16 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा व साबिक आराजी सं. 639,647 किता 2 रकबा 9 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 406,407,408,409,410,421,422,425,426,445,448,465,466,467,552,687,688 किता 17 कुल रकबा 4.36 हैक्ट. व आराजी सं. 402 ,447 किता 02 रकबा 0.09 हैक्ट. का नामान्तरण संख्या 340 दिनांक 23.12.1988 तहसीलदार सहाडा ने निर्णित किया जिसमें अपीलार्थी का नाम अमित हैं, जिसकी जगह बिना कारण ही रमेश अंकित कर दिया जो विधि व न्याय के विरूद्व हैं । तहसीलदार सहाडा ने मृतक खातेदार के वारिसों के नाम की जानकारी किये बिना ही उक्त नामान्तरण में अपीलार्थी का नाम रमेश अंकित करने में त्रुटि की है , जबकि अपीलार्थी का नाम अमित पिता शम्भुलाल पुरोहित हैं, जिससे उक्त नामान्तरण में अपीलार्थी का नाम रमेश की जगह अमित अंकित किया जा करके संशोधन किया जाना आवश्यक व न्यायोचित हैं। अपीलार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों में रमेश पिता शम्भुलाल दर्ज होने से अपीलार्थी को सरकारी सहायता भी प्राप्त नहीं हो रही है तथा रमेश नाम दर्ज होने से अपीलार्थी को भारी क्षति हो रही हैं। पटवारी हल्का ने मृतक के वारिसों की बिना जांच किये व बिना किसी आधार के अपीलार्थी अमित का नाम रमेश अंकित करने में त्रुटि की हैं जबकि रमेश नाम का कोई वारिस मृतक शम्भुलाल का नहीं हैं । जिससे अपीलार्थी का नाम दुरूस्त किया जाकर अमित किया जावे ।

उक्त नामान्तरण की जानकारी दिनांक 13.01.2017 को हुई । जिसकी नकल दिनांक 16.01.2017 को प्राप्त हुई । जिससे दिनांक 23.12.1988 से 16.03.2017 का समय जानकारी के अभाव में अपीलार्थी मुजरा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। जिसके लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं। अतः निवेदन हैं कि न्यायहित में अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जावे व अपीलार्थी का नाम रमेश की जगह अमित पिता शम्भुलाल पुरोहित दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.03.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये जो दिनांक 25.10.2017 को प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि मृतक खातेदार शम्भुलाल पिता नारायण लाल के निधन के बाद ग्राम मेघरास तहसील सहाडा की साबिक आराजी सं. 673, 474, 475, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 648, 641, 651, 688, 689, 790 किता 16 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा व साबिक आराजी सं. 639,647 किता 2 रकबा 9 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 406, 407, 408, 409, 410, 421, 422, 425,426,445,448,465,466,467,552,687,688 किता 17 कुल रकबा 4.36 हैक्ट. व आराजी सं. 402 ,447 किता 02 रकबा 0.09 हैक्ट. का नामान्तरण संख्या 340 दिनांक 23.12.1988 तहसीलदार सहाडा ने निर्णित किया जिसमें अपीलार्थी का नाम अमित हैं, जिसकी जगह बिना कारण ही रमेश अंकित कर दिया जो विधि व न्याय के विरूद्व हैं । तहसीलदार सहाडा ने मृतक खातेदार के वारिसों के नाम की जानकारी किये बिना ही उक्त नामान्तरण में अपीलार्थी का नाम रमेश अंकित करने में त्रुटि की है , जबकि अपीलार्थी का नाम अमित पिता शम्भुलाल पुरोहित हैं, जिससे उक्त नामान्तरण में अपीलार्थी का नाम रमेश की जगह अमित अंकित किया जा करके संशोधन किया जाना आवश्यक व न्यायोचित हैं। अपीलार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों में रमेश पिता शम्भुलाल दर्ज होने से अपीलार्थी को सरकारी सहायता भी प्राप्त नहीं हो रही है तथा रमेश नाम दर्ज होने से अपीलार्थी को भारी क्षति हो रही हैं। पटवारी हल्का ने मृतक के वारिसों की बिना जांच किये व बिना किसी आधार के अपीलार्थी अमित का नाम रमेश अंकित करने में त्रुटि की हैं जबकि रमेश नाम का कोई वारिस मृतक शम्भुलाल का नहीं हैं । जिससे अपीलार्थी का नाम दुरूस्त किया जाकर अमित किया जावे ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । जिसके उपरान्त यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम मेघरास के नामान्तकरण सं. 340 दिनांक 23.12.1988 में मृतक शम्भुलाल के वारिसों की जांच रिपोर्ट व पटवार हल्का रिपोर्ट व तहसीलदार रिपोर्ट मय सम्पूर्ण पत्रावली प्रेषित नहीं की। विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील के विरूद्व किसी प्रकार का कोई जवाब व खण्डन प्रस्तुत नहीं

हुआ । मृतक शम्भुलाल के वारिसान का सम्पूर्ण सजरा पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे पता चल सके कि मृतक शम्भुलाल का वारिस अमित है या रमेश ? न्याय हित में मृतक शम्भुलाल के सभी वारिसान का पुनः परीक्षण कर नये सिरे से नामान्तकरण कार्यवाही की जाने हेतु तहसीलदार सहाडा को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं. 340 दिनांक 23.12.1988 को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार सहाडा को आदेश दिये जाते हैं कि मृतक शम्भुलाल के सभी वारिसान की पुनः सही जांच कर नामान्तकरण की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार सहाडा को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा